उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-16/2017/768/तीस-4-2017-135/89
लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-56 के उपनियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा-68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2452/तीस-4-2008-135-89, दिनांक 11 नवम्बर, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से सम्बन्धित स्तम्भ-3 में उल्लिखित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

अनुसूची

क्रमांक	संभागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य
1	2	3
4	मेरठ	1. श्रीमती प्रेमा यादव पत्नी श्री घनश्याम यादव, निवासी-5175, शास्त्रीनगर, मेरठ 2. श्रीमती गुडिया जेहरा पत्नी श्री नफीस अहमद, निवासी-623/3, रामबाग कालोनी, जैदीफार्म, मेरठ
5	वाराणसी	1. श्री सोमनाथ यादव पुत्र श्री राम नवमी यादव, निवासी-एस-8/395, ए-15 खजुरी गोला, वाराणसी
12	अलीगढ.	1. डा0 प्रशान्त यादव पुत्र श्री राजपाल सिंह यादव, निवासी ग्राम-बुधू, पोस्ट टुकसान, इग्लास रोड, हाथरस
13	आगरा	1. श्रीमती रितु सक्सेना पुत्री श्री कैलाश सक्सेना, निवासी- अजय नगर गोवर्धन रोड, मथुरा 2. श्री मो0 उजैर आलम पुत्र श्री अब्दुल खुद्दुश, 15/70-1, आनन्द काम्पलेक्स, सोरो, कटरा, आगरा
14	आजमगढ़	1. श्री विजय प्रताप यादव पुत्र श्री विश्वनाथ यादव, निवासी ग्राम-हाफिजपुर, आजमगढ़ 2. श्री वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री सभाराम यादव, निवासी ग्राम-मेनपारपुर पोस्ट-बड़गॉव, आजमगढ़
16	चित्रकूटधाम	1. श्री ए0एस0 नोमानी, पुत्र श्री सदरूल हसन, निवासी- मोहल्ला जरैली कोठी मजार के पास, सिविल लाइन, बॉदा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18	मुरादाबाद	1. श्रीमती सलमा हक्कानी, निवासी-हक्कानी भवन, तहसील-काठ, मुरादाबाद
19	सहारनपुर	1. श्री कलीमुलहक पुत्र स्व0 श्री इफ्फतखारूलहक, निवासी-काजियन, तहसील-जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16/2017/768(1)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 13 जून, 2017 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-16/2017/768(2)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी।
7- सम्बन्धित सदस्यगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.16 /2017/768 /XXX-4-2017-135/89 dated, June 13, 2017.

Notification

No.16/2017/768/ xxx-4-2017-135/89
Lucknow: Dated, June 13, 2017

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 56 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification No.2452/XXX-4-2008-135-89, dated November 11, 2008 as amended from time to time.

Amendment

In the Scheduled to the aforesaid notification, the entries mentioned in column-3 relating to Regional Transport Authority mentioned in column-2 of the Schedule below shall be omitted.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Regional Transport Authority	Member of Regional Transport Authority
1	2	3
04	Meerut	1. Smt. Prema Yadav W/O Sri Ghanshayam Yadav R/O-5175, Shashtri Nagar, Meerut. 2. Gudiya Jehra W/O Sri Nafish Ahamad R/O- 623/3, Rambagh Collony, Zaidi Form, Meetut.
05	Varanasi	Sri Somnath Yadav S/O Sri Ramnavmi Yadav R/O S-8/395, A-15 Khajuri Gola, Varanasi.
12	Aligarh	Dr. Prashant Yadav S/O Sri Rajpal Singh Yadav R/O Village- Budhu, Post-Tuksan, Iglash Road, Hathras.
13	Agra	1. Ritu Saxena D/o Sri Kailash Saxena, Ajai Nagar Goverdhan Road, Mathura. 2. Sri M0h. Ujair Alam S/O Sri Abdul Khuddus, 15/70-1, Anand Complex, Soro Katra, Agra.
14	Azamgarh.	1. Sri Vijay Pratap Yadav S/O Sri Vishavnath Yadav, R/O Village Hafijpur, Azamgarh. 2. Sri Virendra Kumar Yadav S/O Sri Sobharam Yadav R/O Village-Menparpur Post-Bargaon, Azamgarh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	Chitrakutdham	Sri A.S.Nomani S/O Sri Sadrul Hasan R/O Mohalla-Jaraili Kothi, Mazar ke Pass, Civil Line, Banda.
18	Moradabad	Smt. Salma Hakkani, R/O Hakkani Bhawan, Tahsil-Kath, Moradabad.
19	Saharanpur	Sri Kalimulhak S/O Late Sri Ifatakharullhak R/O- Kaziyan, Tahsil-Jansath, Muzaffarnagar.

By Order,

(Aradhana Shukla)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।